कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1561 / FP/UK/ROAD/144340/2021 : देहरादून:दिनांक: 15 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः–जनपद टिहरी गढवाल में मा मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु 4.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 1140/12–1 दिनांक 03.12.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन दिनांक 03.12.2021 को एवं प्रस्ताव की 03 हार्ड प्रति आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा दिनांक 06.12.2021 को प्राप्त हुई है। आप द्वारा प्रस्तुत हार्ड प्रति के गहन अवलोकन करने के पश्चात निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक हैः–

1. प्रश्नगत मोटर मार्ग एवं मलवा निस्तरण हेतु चयनित श्री त्रिवेन्द्र सिंह, कास्तकार पुत्र श्री चतर सिंह के अनापत्ति प्रमाण–पत्र में हस्ताक्षर अपेक्षित है।
2. प्रारूप–11/औचित्य प्रमाण–पत्र में आरक्षित वन भूमि 4.69 है0 दर्शायी गयी है, जबकि अन्य प्रपत्रों स्थिति भिन्न है। स्थिति स्पष्ट की जांय।
3. प्रारूप–11/वन भूमि की मॉग का औचित्य एवं विवरण में 6 ग्रामों का उल्लेख किया गया है, जबकि उप खण्ड स्तरीय समिति में केवल ग्राम पसर एवं रौन्देली के प्रमाण–पत्र संलग्न है।
4. वन अधिकार अधिनिय 2006 के अन्तर्गत ग्राम सभा से सम्बन्धित (पसर, रौन्देली) अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिनांक अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त मोटर मार्ग के अन्तर्गत पडने वाले अन्य ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किये जांय।
5. प्रारूप–6/प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में दिनांक अपेक्षित है।
6. प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 में रोजगार पैदा होने की सम्भावना में मानव दिवसों की संख्या रिक्त है। मानव दिवसों की संख्या अपेक्षित है।
7. प्रस्ताव में संलग्न भाग–3 (वन संरक्षक द्वारा भरे जाने) में सही प्रस्ताव संख्या अंकित की जाय।
8. वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति **25 कि0मी0 मार्ग** के निर्माण की है, जबकि भू–वैज्ञानिक आख्या में मार्ग निर्माण **हेतु 23 कि0मी0** का उल्लेख किया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।
9. प्रारूप–16 में संलग्न परियोजना की लम्बाई–चौडाई के विवरण में मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि के आंकलन में त्रुटि है, जिसे सही कर पुनः प्रस्ताव में संलग्न किया जाये।
10. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र को टोपोशीट में दर्शाते हुये प्रस्ताव में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
11. प्रस्ताव में संलग्न समस्त प्रारूपों (एक प्रारूप से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र अन्यत्र न लगा कर एक साथ संलग्न किये जांय) को निर्धारित क्रमवार संलग्न किया जाये। कतिपय प्रपत्र जो एक साथ संलग्न होने चाहिए वे प्रस्ताव में भिन्न–भिन्न पृष्ठों में संलग्न किये गये है, जिन्हे क्रमवार संलग्न किया जाना आवश्यक है।

उक्त आपत्तियों के निराकरण करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी को अपने स्तर से निदेशित करते हुये कमियों का पूर्ण निराकरण कर हार्ड मूल प्रति सहित (03 प्रतियों में) ऑनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

पत्रांक 1501 / **FP/UK/ROAD/144340/2021 तद्दिनांकित।**

1. **प्रतिलिपिः**—प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. **प्रतिलिपिः**—अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर भलि—भांति अवलोकन कर आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण